



झारखण्ड सरकार

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रांची

अल्पकालीन निविदा

प्रतिष्ठित पौध उत्पादक नर्सरी से रांची जिला में व्यवसायिक लाह एवं बेर की खेती हेतु उच्च गुणवत्ता वाले बेर व कुसुम के पौधों जिनकी विशिष्टताएं निम्नवत हैं, की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं :-

क्रमांक	पौधों का नाम	किस्म	मापदंड/ विशिष्टियां
1.	जंगली बेर (लाह की खेती हेतु)	Ziziphus Mauritiana	1. पौधे स्वस्थ, निरोग एवं पूर्ण पत्तेदार हो 2. झारखण्ड प्रदेश हेतु उपयुक्त हो। 3. बिचड़ों की उचाई अधिकतम 12ईंच (30 से.मी.) हो 4. पौधे पोली बैग में हो जिसका साईज 15''x 10' हो तथा जिसमें खाद मिश्रित मिट्टी 3/4 हिस्से तक भरा हुआ हो।
2.	Budded बेर (फल उत्पादन हेतु)	गोला, उमरांव, कडका	1. पौधे स्वस्थ, निरोग एवं पूर्ण पत्तेदार हो 2. Budded बेर की उँचाई (सायन) से 1 से 1.5 फिट तक हो तथा 2-3 शाखाएं निकली हो तथा प्रभेद का टैग संलग्न हो। 3. पौधो पोली बैग में हो जिसका साईज 15''x 10'' हो तथा जिसमें खाद मिश्रित मिट्टी 3/4 हिस्से तक भरा हुआ हो।
3.	कुसुम		1. पौधे स्वस्थ, निरोग एवं पूर्ण पत्तेदार हो 2. बिचड़ों की उचाई अधिकतम 12ईंच (30 से.मी.) हो 3. पौधो पोली बैग में हो जिसका साईज 15''x 10'' हो तथा जिसमें खाद मिश्रित मिट्टी 3/4 हिस्से तक भरा हुआ हो।
4.	लाह (Brood Lac)		Summer Kusmi Broodlac (Jethwi 2007) obtained from Kusum trees. Brood lac twigs should not weigh less than 150 g/m. length and not more than 1 predator (harmful insect) twig with at least 90% living gravid females. The emergence of lac larvae just started (a few crawlers) or about to start within 6 days. Broodlac must be fresh, harvested not more than 2 days before supply at the block Hqrs. The broodlac should meet the specified conditions at the time of delivery at block Hqr. of Ranchi District. The supplier also should inform the concerned official about the quantity and the date of supply one week in advance.

निविदा की शर्तें:-

1. आपूर्तिकर्ता नर्सरी का राज्यांतर्गत अथवा राज्य के बाहर सरकार/सक्षम संस्थान द्वारा निर्बंधित होना आवश्यक है।
2. निविदा में आपूर्तिकर्ता के पास उपलब्ध अद्यतन स्टॉक (पौधे तथा Brood Lac) का उल्लेख आवश्यक है।
3. निविदा की दरे प्रखण्ड स्तर तक पहुँचाने के परिवहन व्यय के साथ अंकित करना आवश्यक है।

4. निविदायें दिनांक 01/03/2007 को अपराह्न 02.00 बजे तक कार्यालय अवधि के दौरान अभिकरण में प्राप्त की जायेगी, जिन्हें उसी दिन अपराह्न 03.00 बजे निविदादाता अथवा उनके प्रतिनिधि के समक्ष खोला जायेगा।
5. पौधों के आपूर्ति दर का उल्लेख प्रजातिवार अलग-अलग अंकित करना है।
6. मृत पौधों का भरपाई आपूर्तिकर्ता द्वारा अगले वर्ष में करना होगा।
7. निविदादाता को निविदा के साथ अग्रधन के रूप में पच्चीस हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, रांची के नाम से (रांची में भुगतये) समर्पित करना आवश्यक है।
8. किसी एक अथवा एक से अधिक आपूर्तिकर्ता को विशिष्टियों के आधार पर आपूर्ति आदेश देने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है। आपूर्तिकर्ता को किसी प्रकार का अग्रिम देय नहीं होगा।
9. बिना कोई कारण बताये निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत अथवा रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित है।

**उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी,
रांची।**